

**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़****पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 052/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/168)	दायर दिनांक 04-08-2025	निर्णय दिनांक 27-08-2025
---	---------------------------	-----------------------------

**अनवान**

बालुसिंह पिता चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी बरडिया जागीर तहसील मनासा जिला नीमच (मध्य प्रदेश) मोबाईल 9098012651

**अपीलार्थी****बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रत्यर्थीगण****प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005****-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.05.2025 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./052/2025(सू.अ.) (27.08.2025)/479 दिनांक 04.08.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 27.08.2025 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से पत्रांक/ लोसूअ/विविध/2024-25/259 दिनांक 13.08.2025 से बिन्दुवार टिप्पणी/ कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही लोक सूचना



अधिकारीगण द्वारा कमेंट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारीगण द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2025 प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी/आवेदक का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को दिनांक 03.06.2025 को प्राप्त हुआ है, एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/लोसूअ/विविध/2025/213 दिनांक 17.06.2025 से प्रार्थी/आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2025 के संबंध में सूचित किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारीगण द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 23.05.2025 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होना पाया जाता है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्रार्थी/अपीलार्थी को आदिनांक तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जबकि प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/लोसूअ/विविध/2025/213 दिनांक 17.06.2025 प्रेषित करना अवगत कराया गया है, ऐसी स्थिति उक्त पत्र प्रार्थी/अपीलार्थी को पुनः उपलब्ध करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन-पत्र दिनांक 23.05.2025 जो कि लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं अधिनियम 2005 की भावना के तहत



लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को अपने पत्रांक/लोसूअ/विविध/2025/213 दिनांक 17.06.2025 की छाया प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक के पुनः प्रेषित कर पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय को भिजावें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **27.08.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
(राजस्व) (जिला कलक्टर),  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

